

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एक 73 - 51 / 20-3/2003

भोपाल, दिनांक - 12/06- 2004

प्रति,

तथिब,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार - नई दिल्ली ।

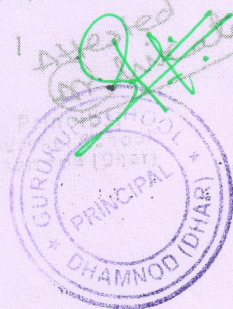
विषय :- अशासकीय-गुरुकुल स्कूल-महेश्वर रोड-धामनोद-जिला-धार, मध्यप्रदेश,
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु सन.ओ.सी.
देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय गुरुकुल स्कूल-महेश्वर रोड, धामनोद, जिला-धार,
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक {परीक्षा} को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता
है । परन्तु खेल न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर. . . .



15